

12.10.2022

आवेदकगण सूरज एवं कार्तिक उर्फ पप्पू की ओर से श्री आर.एस. सोलंकी अधिवक्ता उपस्थित।
अनावेदक राज्य द्वारा श्री ऋषि बजाज अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण केस डायरी प्रस्तुति/जमानत आवेदन पत्र पर विचार/तर्क हेतु नियत है।

थाना कुरवाई के अपराध क्रमांक 256/2022 की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

इसी प्रक्रम पर आवेदकगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदकगण सूरज एवं कार्तिक उर्फ पप्पू की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. पर बल नहीं देना चाहते हैं तथा अपने अभिवाक् आदेश पत्रिका लेखबद्ध कर हस्ताक्षर किये गये।

आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत 439 दं.प्र.सं. बल न देने से निरस्त किया जाता है।

केस डायरी वापस की जाये।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. में अंकित विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

श्रीमती संतोषी वासनिक
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.)

पुलिस
मे. वि. प्र.
[Signature]

कुरवाई
[Signature]

[Signature]